

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0एस0-08-11

क्रमांक 164/2017

आरबीई 10-74/2017

सं० ई/७/१६/भाग-11/IV

सचिव, महाप्रबन्धक

सचिव/अवर महाप्रबन्धक

सभी क्षेत्रीय अधिकारी

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अनिवारित मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

दिनांक 18-08-2017

विषय:-ग्रुप बी में स्टेशनरी पद पर तैनात रनिंग कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करने के लिए वेतन तत्व की गणना करना।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (पी एण्ड ए) 11-2014/आरएस-22 दिनांक 28.07.2017 को हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतिलेख सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

सलग्नक / यथापारि


18.08.17

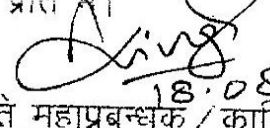
(ए० के० सिंह)

उपमुकाधि/अराज

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

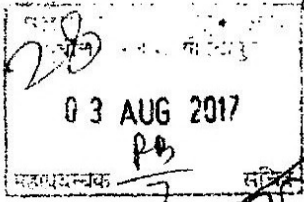
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एनईरेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूररे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसिएशन/पूररे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसिएशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकर्याधी/एमपीपी का वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।


18.08.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

10/8/17

2



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

Handwritten signatures and stamps, including '04/08/17' and '03/08/17'.

सं. ई(पी एण्ड ए)II-2014/आरएस-22

नई दिल्ली, दिनांक 28.07.2017

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें
और उत्पादन इकाइयां.
NER, Gorakhpur

विषय: ग्रुप 'बी' में स्टेशनरी पदों पर तैनात रनिंग कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करने के लिए
वेतन तत्व की गणना करना।

पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया था कि ऐसे रनिंग कर्मचारियों जिनका चयन/सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप 'बी' पद पर चयन हुआ है, का वेतन निर्धारित करने के लिए 30% वेतन तत्व की गणना की जाएगी अथवा नहीं।

2. इस मुद्दे पर इस कार्यालय में विचार किया गया है और यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है कि रेलों में रनिंग कर्मचारियों को रनिंग एवं अन्य भर्तों का भुगतान करने से संबंधित नियम, 1981 के नियम 25 (i)(घ) और आईआरआईएम-1 के पैरा 924(i)(घ) में निहित स्टेशनरी पदों पर रनिंग कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करने से संबंधित प्रावधान ग्रुप 'बी' में स्टेशनरी पदों पर पदोन्नति होने पर तैनात रनिंग कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करने के मामले में भी लागू होंगे।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

मो. स्लीम अहमद

(सलीम. मो. अहमद)

उप निदेशक/ई(पी एण्ड ए)II,

रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एण्ड ए)II-2014/आरएस-22

नई दिल्ली, दिनांक 28.07.2017

भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) प्रेषित।

Handwritten signature.

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(पी एण्ड ए)II-2014/आरएस-22

नई दिल्ली, दिनांक 28.07.2017

- (1) प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि.
- (2) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16 आशोक रोड, लखनऊ.
- (3) महानिदेशक आरडीएसओ, लखनऊ.
- (4) निदेशक (क) आईआरआईईईएन, नासिक (ख) आईआरआईसीईएन, पुणे (ग) आईआरआईएमईई, जमालपुर (घ) आईआरआईएसईटी, सिकन्दराबाद.

Received
20.8.2017

102

28

3

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. E(P&A)II-2014/RS-22

RBE No. 74/2017
New Delhi, dated: 28.07.2017

**The General Manager,
All Indian Railways
and Production Units.**

**Sub.- Reckoning of pay element for fixation of pay of running staff in
stationary posts in Group 'B'.**

Eastern Railway and South East Central Railway had requested for a clarification whether 30% pay element will be reckoned for pay fixation of a running staff who has been selected to a Group 'B' post through selection/LDCE.

2. The issue has been under consideration in this office and it has been decided to clarify that the provisions regarding fixation of pay of running staff in stationary posts contained in Rule 25 (i)(d) of 'The Rules for the payment of running and other allowances to the Running staff on the Railways 1981' and paragraph 924 (i) (d) of IREM-I would also apply in the case of fixation of pay of running staff posted on promotion to the stationary posts in Group 'B' also.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

md. Salim Ahmed.

(Salim Md. Ahmed)
Deputy Director/E(P&A)II,
Railway Board.

No. E(P&A)II-2014/RS-22

New Delhi, dated: 28.07.2017

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.

[Signature]
For Financial Commissioner/Railways.

New Delhi, dated: 28.07.2017

No. E(P&A)II-2014/RS-22

Copy to :-

- (1) The PFAs, All Indian Railways & Production Units etc.
- (2) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.
- (3) Director General RDSO Lucknow.